29.01.2025

पत्रावली पेश। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण की तरफ से नोटिस तामील पेश। अप्रार्थीगण आजतक तक अनुपस्थित। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व मौजा पालडी में प्रार्थीगण के बापदादा की पुश्तैनी भूमि के खसरा संख्या 500 रकबा 0.03 है०, खसरा संख्या 501 रकबा 2.51 है० स्थित है। जिसके पुराना खसरा संख्या 223, 220, 221 थी। जिसमें स्व० भगनाराम ~~[illegible]~~ के हिस्से में हम प्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा पुश्तैनी, शांतिपूर्वक कब्जेकाश्त का चला हुआ है। प्रार्थीगण के पिता भगनाराम निर्वासियत ~~फौत होने~~ पर उनकी सम्पत्ति में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 04 कुल-कुरी का बराबर हक-हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज करना था, लेकिन अप्रार्थीगण ने राजस्व ऐजेंसी से भारी सांठ-गांठ कर हमें अपने पुश्तैनी हक से वंचित करने के लिए स्व० भगनाराम के फौतेगी नामान्तरण दर्ज करते वक्त प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं किया तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के नाम अवैध व विधिविरुद्ध तरीके से हिस्सा दर्ज कर दिया, तथा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के नाम दर्ज कर दिया, जबकि स्व० भगनाराम के फौत होने पर उनके कुल-कुरी बराबर अंश, हिस्सा पाने के अधिकारी है हम प्रार्थीगण [illegible] हित प्रथम अनुसूचि के मृतक भगनाराम [illegible] हक पाने के कानूनी अधिकारी है। [illegible] प्रथम [illegible] मामला

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:12:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण के पक्ष में हो मौके पर हक अप्रार्थीगण का शांतिपूर्वक कब्जाकाश्त होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण की उक्त भूमि में अप्रार्थीगण का कब्जा व अतिक्रमण दर्ज नाम का फायदा उठाकर संपूर्ण भूमि को बेचान करने में सफल हो जाते हैं, तो प्रार्थीगण हमेशा के लिए अपने हक से वंचित रह जाएगी। जिसका आंकलन कतई रुपयों में नहीं होगा। अतः अप्रार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे।

मैंने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जमाबंदी द्वितीय मिसल, मिसल सैटल तथा वर्तमान जमाबन्दी के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक आराजी प्रतीत हो रही है। अतः मामला प्रथम दृष्टया तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को हस्तांतरण तथा खुर्दबुर्द किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः वादग्रस्त आराजी को सुरक्षित रखा जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय का स्थगन आदेश दिनांक 12.03.2020 को मूल वाद के निस्तारण तक प्रभावी रखा जाता है। पत्रावली नियमानुसार होकर नम्बर से [illegible] तारीख पेशी उपस्थित हो।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:12:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner